वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर
यूनीफार्म सेल कण्डिशन सहित ई–नीलामी हेतु विक्रय की शर्तें

1. **बकाया धनराशि आदि जमा करने का समय–**

   (क) – क्रेता को 3 लाख तक के विक्रय मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान बिक्री की तिथि सहित 10 दिन के अंदर करना होगा, जिसमें नीलामी तिथि भी शामिल होगी।

   (ख) – क्रेता को 3 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम के विक्रय मूल्य की बकाया धनराशि एवं सम्बन्धित कर का भुगतान बिक्री की तिथि सहित 15 दिन के अंदर दो किस्तों मे जमा कर सकता है, जिसमें नीलामी तिथि भी शामिल होगी।

   (ग) – क्रेता को 10 लाख से अधिक के विक्रय मूल्य की बकाया धनराशि एवं सम्बन्धित कर का भुगतान बिक्री की तिथि सहित 15 दिन के अंदर तीन किस्तों मे जमा कर सकता है, जिसमें नीलामी तिथि भी शामिल होगी।

2. यदि क्रेता बिक्री मूल्य की बकाया धनराशि एवं सम्बन्धित कर नियमानुसार 10 या 15 दिन (जैसा मामला हो) तक नही कर पाता है, तो बकाया धनराशि जमा करने का आदेश सक्षम प्राधिकारी से लिखित रूप में प्राप्त करने के बाद ही नीलामी की तिथि को भारतीय स्टेट बैंक के करेंट बेस रेट में 7 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर जोडकर वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता द्वारा बकाया धनराशि नीलामी की तिथि से साईट लाटों के लिए 40 दिन के अन्दर जमा नही किया जाता है, तो ब्याना राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर लिया जाएगा एवं सम्बन्धित लाट पर क्रेता का कोई अधिकार नही होगा।

   प्राधिकार–(1) रेल परिषद का पत्र सं0 2012/आर एस(एस)/709/4 दि0 29.05.2012
   (2) भनिक/गोरखपुर का पत्र सं0 एस0/3/सी एस एस/264/पालिसी/पार्ट–आठ(लूज) दि0 07.08.2012

3. नीलामी में खरीदे गए लाटों की बकाया धनराशि (बैलेन्स सेल वैल्यू) जो क्रेतागण आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा करने के इच्छुक हों वे बिड शीट के पेमेन्ट टर्म्स के कालम में दिए गए विवरण के अनुसार जमा कर सकते है तथा आर.टी.जी.एस. करने के बाद क्रेता मुख्य खजांची/पू0उ0रे0/इज्जतनगर से रोकड रशीद प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते है।

4. साधारण परिस्थितियों में निःशुल्क परिदान अवधि 40/50 दिन निर्धरित है, यद्यपि उचित केसों (जेन्वीन डिजर्विंग केस) मे ही 40/50 दिन से अतिरिक्त केवल 15 दिन की निःशुल्क परिदान अवधि प्रधान कार्यालय द्वारा बढाई जा सकती है किन्तु क्रेता इसे अपना वैधानिक अधिकार समझकर दावा नही कर सकते। (प्राधिकार– रेल परिषद का पत्र सं0 रेल परिषद का पत्र सं0 2012/आर एस(एस)/709/4 दि0 29.05.2012 एवं भनिक/गोरखपुर का पत्र सं0 एस0/3/सी एस एस/264/पालिसी/पार्ट–आठ(लूज) दि0 07.08.2012)

5. पॉच एम.टी. तक के लाट का परिदान एक बार मे लेना होगा, इसमें पार्ट डिलेवरी की सुविधा नही दी जाएगी तथा एक पॉवर ऑफ अटार्नी पर एक ही लाट की डिलेवरी की जाएगी।

क्रमशः आगे–

6. नीलामी सुपरवाईज करने वाला अधिकारी (ऑक्शन कन्डक्टिंग ऑफिसर) बिना कोई कारण बताए किसी बोलीकर्ता/केता की बोली को स्वीकर करने से इंकार कर सकता है साथ ही विशेष परिस्थितियों मे यदि बोली स्वीकार करने के बाद नीलामी सुपरवाईज करने वाला अधिकारी इस निर्णय पर आता है, कि बोली को स्वीकार करने के कारण रेल राजस्व को किसी प्रकार का नुकसान को रहा है या बाद मे चलकर किसी प्रकार का विवाद की संभावना बन रही है तो बिके हुए लाट को निरस्त करने का अधिकार रखता है।
7. अलौह मेटल वेस्ट स्कैप जैसे ड्रास इन्सुलेटेड कापर वायर, जिन्क ड्रास, जिन्क ऐस, प्रयुक्त तेल तथा प्रयुक्त/स्कैप लेड एसिड बैटरी केवल उन्ही केताओं/फर्मो को विकय किया जाएगा जो हजार्डस वेस्ट(मैनेजमेंट एवं हैण्डलिंग) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत (जो समय पर संशोधित की जा सकती है) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार मे रिसाइक्लर्स/रिप्रोसेसर्स के रूप में पंजीकृत हों। पंजीकरण प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि कम से कम उतनी पर्याप्त होनी चाहिए जिस अवधि के अन्दर नीलामी में कय की जाने वाली उपरोक्त मदों की पूरी मात्रा को रिसाइकिल/रिप्रोसेस पूरा किया जा सके। केता को परिदान के समय सीपीसीबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र कम पास–बुक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें परिदान का विवरण अभिलेखित किया जाएगा। लेड एसिड बैटरी केवल उन्ही फर्मो को विकय किया जाएगा जो पर्यावरण एवं नीलामी में कय की जाने वाली वन मंत्रालय भारत सरकार में रिसाईक्लर्स के रूप में बैटरी(प्रबंधक एवं संचालन) अधिनियम–2001 जो समय–समय पर संशोधित की जा सकती है, के अन्तर्गत पंजीकृत हो। जिस राज्य में हानिकारक रद्दी विद्यमान है वहॉ से किसी राज्य में जहॉ उसके ट्रीटमेंट(निदान), स्टोरेज एवं निस्तारण की सुविधा है वहॉ से ले जाने की दशा में केता उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अथवा संबंधित राज्य की कमेटी अथवा संघ राज्य प्रशासन से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगाा।

   <u>प्राधिकार</u> – उपमुसाप्र/विकय भनिक कार्यालय/गोरखपुर का पत्र सं. एस/3/सीएसएस/264/पालिसि/वाल्यूम–आठ दि0 04.06.2009
8. केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कय किए लाटों पर जीएसटी एवं टीसीएस का भुगतान करना होगा।
9. उपरोक्त के साथ–साथ सभी प्रकार की नीलामी प्रकिया सामान्य विकय अनुदेश में निहित नियम एवं शर्तो के आधार पर मान्य होगी। सामान्य विकय अनुदेश की प्रतिलिपि विकय अनुभाग मे उपलब्ध है।
10. **<u>भूमि भाडा</u>** – विकय की गई लाटों पर निःशुल्क परिदान अवधि (डिलेवरी पीरियड) में परिदान नही लेने पर Value of unlifted material के विकय मूल्य पर 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से भूमि भाडा देय होगा।
11. परिदान आदेश विकय अनुभाग से भुगतान के तीन कार्य दिवस के अन्दर प्राप्त किया जा सकता हैं।

कमशः आगे–

12. पावर ऑफ अटार्नी 100 रू0 के स्टाम्प शुल्क के साथ क्रेता व क्रेता के प्रतिनिधि के प्रमाणित फोटो के साथ पंजीकृत नोटरी से सत्यापित होने पर ही मान्य होगी, पावर ऑफ अटार्नी के साथ यदि सम्भव हो तो क्रेता के प्रतिनिधि के आधार कार्ड के साथ ही प्रस्तुत करें।

13. क्रेता व क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा स्टाफ एवं रेलवे अधिकारियों से अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार करने, वाणिज्य कर, आयकर मामलों में घपला करने तथा रेलवे की डिलेवरी आदि में किसी प्रकार की अनियमितता करने पर क्रेता को कुछ समय के लिए निलम्बित तथा रजिस्ट्रेशन निरस्त तक कर दिया जायेगा।

14. ई–नीलामी में भाग लेने वाले क्रेता के लिये आवश्यक है कि उसको ई–नीलाम सम्बंधी सभी नियम एव शर्तों की पूर्ण जानकारी हो। यह क्रेता की जिम्मेदारी है कि वह लाट की मात्रा, स्थिती, अप्रोच रोड लोकल कन्डीशन इत्यादि से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही बिड करें। विक्री के उपरान्त इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिकायत पर कोई विचार नही किया जायेगा। लॉट हेतु दर्शाई गई मात्रा, दर्शाये गये विवरण की अन्य किसी अभिलेख में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर फील्ड पर पाई जाने वाली मात्रा ही मान्य होगी।

15. क्रेता परिदान तिथि लेने हेतु 7 दिन पूर्व वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना सुनिश्चित करें। विलम्ब से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर क्रेता परिदान सम्बंधी विलम्ब हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबन्धक के आदेशानुसार